

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2014

का.आ. 483(अ) .---केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 14 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु:—

सारणी

*14राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, [किमी 561.0 से किमी 585.0 को छोड़कर रारा-4 के साथ जंक्शन से मुंबई तक और
किमी 168.500 से किमी 539.500 तक (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा – पिंपलगांव – धुले – नासिक – गोंडे) को
छोड़कर], सं. 6 [किमी 9.20 से किमी 166.725 तक (नागपुर – तालेगांव - अमरावती बाइपास), किमी
405.000 से किमी 485.000 तक (रायपुर – नागपुर खंड) और किमी 498.000 से किमी 544.200 तक
(नागपुर – वैनगंगा पुल) को छोड़कर], सं. 9 [किमी 40.000 से किमी 348.800 तक (पुणे – शोलापुर –
महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा) को छोड़कर], सं. 13, सं. 16, सं. 17 [किमी 0.000 से किमी 84.000 तक (पनवेल –
इंदापुर) को छोड़कर], सं. 50 [किमी 12.190 से किमी 177.000 तक (पुणे – नासिक – खेड – सिन्नर खंड) को
छोड़कर], सं. 204, सं. 211 [किमी 0.000 से किमी 452.800 तक (शोलापुर – येदिसी – औरंगाबाद – धुले) को
छोड़कर], सं. 222 और नया रारा सं. 848 (नासिक से पेइंत) का उतना भाग जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है।महाराष्ट्र त्र में अवस्थित है।

[फा. सं. एनएच-14013/8/2013-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, उप–सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 3491(अ), 26 नवंबर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2014

S.O. 483(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"14	So much of National Highways No.3 [excluding from Km. 561.0 to Km. 585.0 from	State Government
	Junction with NH 4 to Mumbai and from Km. 168.500 to Km. 539.500 (Madhya	of Maharashtra".
	Pradesh/Maharastra Border-Pimplagaon-Dhule-Nashik-Gonde)], No.6 [excluding from	
	Km. 9.20 to Km. 166.725 (Nagpur-Talegaon-Amravati bypass), Km. 405.000 to	
	Km. 485.000 (Raipur-Nagpur section) and from Km. 498.000 to Km. 544.200 (Nagpur-	
	Wainganga Bridge)], No.9 [excluding from Km. 40.000 to Km. 348.800 (Pune-Solapur-	
	Maharashtra/Karnataka border)], No.13, No.16, No.17 [excluding from Km. 0.000 to	
	Km. 84.000 (Panvel-Indapur), No. 50 [excluding from Km.12.190 to Km.177.000 (Pune-	
	Nasik-Khed-Sinnar section)], No.204, No. 211 [excluding from Km. 0.000 to	
	Km. 452.800 (Solapur-Yedishi-Aurangabad-Dhule)], No. 222, new National Highway	
	number 848 (Nasik to Peint) as are situated within the State of Maharashtra.	

[F. No. NH-14013/8/2013-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note:—The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 3491(E), dated the 26th November, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2014

का.आ. 484(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थातु:—

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
50	खेड – सिन्नर खंड	किमी 42.000 से 177.000
	(महाराष्ट्र राज्य में)	

सारणी

[फा. सं. एनएच-14013/8/2013-पीएंडएम(पार्ट)]

माया प्रकाश, उप–सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2014

S.O. 484(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
50	Khed-Sinnar Section.	From km. 42.000 to km. 177.000
	(in the State of Maharashtra)	

[F. No. NH-14013/8/2013-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.